

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 1664 / तक / म0प्र0ग्रासप्रा / 2023

बालाघाट दिनांक 19/06/2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम-टेमनी से ग्राम-सायर मार्ग निर्माण हेतु 1.62 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग कर देने बाबद्।

(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Other/143349/2021)

- संदर्भ :-
1. आपका पत्र क्रमांक मा.चि./1080 बालाघाट दिनांक 17.02.2023
 2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र. का पत्र क्रमांक/एफ-5/1097/2022/10-11/541,542 भोपाल दिनांक 07.02.2023

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 में लेख अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम-टेमनी से ग्राम-सायर मार्ग निर्माण हेतु 1.62 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग कर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति संदर्भित पत्र क्र. 02 द्वारा जारी की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि आवेदक विभाग द्वारा ऑनलाईन केम्पा मद में जमा कराया जाकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 859/तक/बालाघाट दिनांक 04.04.2023 द्वारा आपकी ओर प्रेषित की गई थी। तत्संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तें (भाग A अन्तर्गत 1 से 9 एवं भाग B अन्तर्गत 1 से 15) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया ग्राम-टेमनी से ग्राम-सायर मार्ग निर्माण हेतु 1.62 हेक्टेयर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

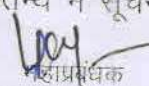

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
बालाघाट, दिनांक 19/06/2023

पू. क्र. 1665 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2023
प्रतिलिपी:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. वनमंडलाधिकारी पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ।




महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

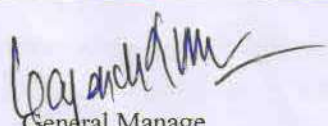
General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Name of Road - Village Temani to Village Sayar, Length 2.70 KM.

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तें	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
A	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.	-
1	The cost of compensatory afforestation on the CA land 1.620 ha. Non-forest land at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (Including the cost of survey demarcation and erection of permanent pillars etc as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority the CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	NPV Amount Rs. 1990316/- & Compensatory Afforestation Amount Rs. 3355514/- Total Amount 5345830/- CRN No. CBINH23090684662 Dated 31.03.2023 has been paid accordingly. As per challan copy enclosed to wards 1.62 Ha. Desired forest land for the construction work of Road Village Temani to Village Sayar (Length of Road 2.70 Km.)
2	Non-Forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department and documents shall be submitted.	Net forest land 1.62 Ha. Transferred to state forest department.
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as reserved forest under section-4 or protected forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (S) of the State Forest Act, Copy of PF/RF notification shall be submitted with Stage-I compliance report.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 1.62 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	yes; it is submitted through e-portal (https://parivesh.nic.in/).
6	The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Copy of certificate in prescribed format has been obtained from the collector Balaghat. It also being uploaded for further necessary action plz.

7	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act, 1980 and action would be taken as per prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act 1980 as issued by this ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
8	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)
9	If the State Forest Department shall issue working permission then a copy of same shall be submitted to this office.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
B	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval	It is under taken that Legal status of the forest land shall remain unchanged.
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 1.620 ha. Non-forest land (1.570 ha. Khasra No. 17 Village Lohara, Tehsil -Lanji & 0.050 ha. Khasra No. 8 village-Lohara Tehsil-Lanji District-Balaghat) at the cost of the user agency as par as prosaible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially on-native species should be avoided.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. the User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
4	No tree felling shall be involved in the implementation of this project .	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
5	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
6	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
7	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
8	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of central Government.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
9	No labour camp shall be established on the forest land.	Agreed - It is under taken that No labour camp shall be established on the forest land.
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat

11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
12	The period of diversion under this approval shall be co terminus with the period of the project life.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	It is under taken that The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
14	The forest land proposed to be divered shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or persion without prior approval of central Government.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat
15	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Agreed MPRRDA PIU-1 Balaghat


 General Manage
 M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

—: वन क्षति नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्राम टेमनी से ग्राम सायर लम्बाई 2.70 कि.मी. मार्ग में वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 741A , 613 एवं 304B रकबा 1.62 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क निर्माण के दौरान कोई भी वृक्ष नही काटे जावेंगे। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

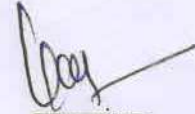


सहायक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
प्रियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्राम टेमनी से ग्राम सायर लम्बाई 2.70 कि.मी. मार्ग में वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 741A , 613 एवं 304B रकबा 1.62 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में NPV की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा "टेमनी से सायर सड़क निर्माण कार्य" हेतु तहसील लांजी आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खंड क्रमांक 741A, 613, 304B के वन क्षेत्र में 1.62 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।
- 2- ग्राम पंचायत देवरबेली, जनपद पंचायत लांजी के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं हैं एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नहीं किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।
- 3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा "टेमनी से सायर सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।
- 4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

(सचिव)

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट

(सदस्य)

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वन मंडल बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट

(अध्यक्ष)

कलेक्टर
जिला बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
बालाघाट

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

No. 2193.....

Dated..... 8/6/2023

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that **1.62 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat**, (name of user agency) for **Temni to Sayar Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of **South Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest Block Lanji Tah./Block Lanji, Village- Deverbell in Compartment No. 741A 613, 304B Total Area 1.62 Hec. in Forest land village(s) in Lanji tehsils.**

It is further certified that:

- (w) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.62 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure **02**.
- (x) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (y) (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above:



Signature

(full name and official seal of the District Collector)

(Dr. Girish Kumar Mishra)



**कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल
बालाघाट (म.प्र.)**

दूरभाष नं- (07632-248414)
Email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/ 637

बालाघाट, दिनांक 01/05/2023

प्रति,

वन संरक्षक,
बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.)

विषय:-

आवेदक संस्थाओं द्वारा RTGS/CBS से सीधे भारत सरकार के एड-हॉक कैम्पा के बैंक एकाउण्ट में राशि जमा किये जाने बाबत जानकारी । (माह- अप्रैल/2023 की)

संदर्भ :-

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-10/बजट/255/1187 भोपाल दिनांक 31.03.2013 एवं कार्यालय विशेष प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कैम्पा) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-10/बजट/226 दिनांक 18.11.2015

निवेदन है, कि विषयोंकित सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में दक्षिण बालाघाट (सा0) वनमंडल अन्तर्गत एड-हॉक कैम्पा भारत सरकार को आवेदक संस्था/विभाग द्वारा सीधे राशि प्रेषण का विवरण की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में माह- अप्रैल/2023 की तैयार कर अवलोकनार्थ संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।
(निर्धारित प्रपत्र एवं आवेदक विभाग- कार्यालय महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. परि.क्रि.ई.क्र.-1, बालाघाट, का पत्र क्र./859/तक/म.प्र.ग्रा.स.प्रा./2023 दिनांक 04.04.2023 तथा स्टेटमेंट की छायाप्रति)

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.

पृ0 क्रमांक/मा0चि0/ 638

प्रतिलिपि :-

बालाघाट, दिनांक 01/05/2023

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा) कार्यालय विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा) सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में माह- अप्रैल/2023 की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर अवलोकनार्थ संलग्न सम्प्रेषित है।
- (2) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, म.प्र. भोपाल, की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में माह - अप्रैल/2023 की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर एवं आवेदक विभाग - कार्यालय महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.परि.क्रि.ई.क्र.-1, बालाघाट, का पत्र क्र./859/तक/म.प्र.ग्रा.स.प्रा./2023 दिनांक 04.04.2023 तथा स्टेटमेंट की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न सम्प्रेषित है।
- (3) उपवनमंडलाधिकारी लांजी (सा0) उपवनमंडल तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी परिचम लांजी (सा0) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत माह- अप्रैल/2023 की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर एवं आवेदक विभाग - कार्यालय महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.परि.क्रि.ई.क्र.-1, बालाघाट, का पत्र क्र./859/तक/म.प्र.ग्रा.स.प्रा./2023 दिनांक 04.04.2023 तथा स्टेटमेंट की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (4) शाखा ग्रामारी व्यय शाखा, एवं राजस्व शाखा दक्षिण (सा0) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र एवं आपके कार्यालयीन पत्र क्र0/व्यय आ0/2633 दिनांक 05.04.2013 के तारतम्य में माह - अप्रैल/2023 की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर एवं आवेदक विभाग - कार्यालय महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.परि.क्रि.ई.क्र.-1, बालाघाट, का पत्र क्र./859/तक/म.प्र.ग्रा.स.प्रा./2023 दिनांक 04.04.2023 तथा स्टेटमेंट की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (5) आवेदक विभाग - कार्यालय महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.परि.क्रि.ई.क्र.-1, बालाघाट, का पत्र क्र./859/तक/म.प्र.ग्रा.स.प्रा./2023 दिनांक 04.04.2023 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(निर्धारित प्रपत्र एवं आवेदक विभाग- कार्यालय महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. परि.क्रि.ई.क्र.-1, बालाघाट, का पत्र क्र./859/तक/म.प्र.ग्रा.स.प्रा./2023 दिनांक 04.04.2023 तथा स्टेटमेंट की छायाप्रति)

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट
दक्षिण सा. वनमंडल बालाघाट

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 857 / तक / म0प्र0ग्रासप्रा / 2023

बालाघाट दिनांक 04/04/2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम टेमनी से ग्राम सायर तक मार्ग निर्माण हेतु 1.62 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

(ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/143349/2021)

संदर्भ :-

1. आपका पत्र क्रमांक मा.चि.-1/1080 बालाघाट दिनांक 17.02.2023

2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र. का पत्र क्रमांक/एफ-5/1097/2022/10-11/541, 542 भोपाल दिनांक 07.02.2023

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 में दिये गये निर्देशानुसार बालाघाट जिले के अन्तर्गत ग्राम टेमनी से ग्राम सायर तक मार्ग निर्माण एवं पहुँच मार्ग हेतु 1.62 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग पर देने बाबत सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। उक्त संबंध में दिये गये निर्देशानुसार अधिरोपित शर्त क्रमांक-भाग A-04 अन्तर्गत NPV की राशि 1990316.00 रुपये एवं अधिरोपित शर्त क्रमांक-भाग B-02 अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 3355514.00 रुपये कुल राशि 5345830.00 रुपये Parivesh Portal के माध्यम से एड-हॉक कैम्पा (CAMP) में जमा कर रसीद जिसका CBNH23090684662 दिनांक 31.03.2023 है। उपरोक्तानुसार CRN रसीद एवं Payment Status सत्यापित कर आपको ओर प्रेषित है।

संलग्न :-

1. CRN रसीद।
2. Payment Status


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 04/04/2023

पृ. क्र. 860 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2023

प्रतिलिपी:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

UTR Number CBINH23090684662
 Value Date 31/03/2023
 Amount 5345830.000 INR
 Related Ref.No: Commission 0.000

Sender Accou
Type

Receiver Accc
Type

Mb. Number /
Mail

Beneficiary Details

Beneficiary A/C: 1507661143349330
 Benef. Name And Address:
 /1507661143349330
 MADHYA PRADESH CAMPA

Remitting Customer Details

Account Number: 00000001793102296
 Remitter's Name And Address:
 ADMINISTRATIVE A C MPRRDA
 BLOCK 2
 PARYAVAS BHAWAN
 ARERA HILLS

Beneficiary bank/branch

IFSC Code UBIN0996335

Details of Payment:

Sender's To Receiver Information

7495;

Error Code

Close



Online payment history made by User Agency under CAPPA

Sno. Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of Inv. Amount to be Paid/Amount PRINCIPLE Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/NP/NOAD/1434-09/2021 C. Newwot.aspx? DB=FP/NP/NOAD/1434-09/2021 CONSULTATION OF FUND FROM Village term to village server	FOAD-34-02-01130	511434023403	Feb 2023	PA 335514/- Addn CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Salary 0/- Adh PA 0/- Other 199310/- Other Charges 0/- Other Charges 10/- Other Charges 20/- Other Charges 30/- Total: 3345830/-	Fund Demand Verified by: 30 Mar 2023 Noted Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Chalan) Chalan Generated On: 31 Mar 2023 Transaction Date: 31 Mar 2023	Demand Letter C:\Users\aditya\Documents\20032023\1434-09\215962_FPOAD\1434-09\2021_User_Fund_Demanding_TQ363.px generated Chalan (-) User\Account\Fund_Cheque.aspx?pc=FOAD\1434-09\2021\130



 (Sd/-)

 03/03/2023

ज्ञापन क्रमांक 823/लेखा./2023
प्रति,

बालाघाट दिनांक 31/03/2023

शाखा प्रबंधक
रेन्टल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा- बालाघाट (म.प्र.)विषय :- Ad-HOC CAMPA मद में राशि NEFT/RTGS करने बाबत।
—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत CAMPA Fund के खाता क्रमांक 1507661143349330 में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु बैंक क्रमांक 596211 दिनांक 31.03.2023 राशि रु. 53,45,830.00 (तिरपन लाख पैंतालिस हजार आठ सौ तीस मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त बैंक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN(Cyber Receipt No.) प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

Beneficiary Name	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code	UBIN0996335
Pay To Account NO.	1507661143349330 Valid Only For this Challan Amount
Bank Name & Address	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027


महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-03-2023

Agency Name.	MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Application No.	61143349330
MoEF/SG File No.	6-MPB032/2022-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Near RTO Office Civil Line Balaghat
Amount(in Rs)	5345830/- ✓

Amount in Words : Fifty-Three Lakh Forty-Five Thousand Eight Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661143349330 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-03-2023

Agency Name.	MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Application No.	61143349330
MoEF/SG File No.	6-MPB032/2022-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Near RTO Office Civil Line Balaghat
Amount(in Rs)	5345830/-

Amount in Words : Fifty-Three Lakh Forty-Five Thousand Eight Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661143349330 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Smile
Ganga Kanta
MPRRDA PIU-1
Balaghat (M.P.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 1916 /तक/म0प्र0ग्रासप्रा/2023
प्रति,

बालाघाट दिनांक 19/07/2023

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम-टेमनी से ग्राम-सायर मार्ग निर्माण हेतु 1.62 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग कर देने बाबद्।

(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Other/143349/2021)

1. आपका पत्र क्रमांक मा.चि./1080 बालाघाट दिनांक 17.02.2023
2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र. का पत्र क्रमांक/एफ-5/1097/2022/10-11/541, 542 भोपाल दिनांक 07.02.2023
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1664/तक/मप्रग्रासप्रा/2023 बालाघाट दिनांक 19.06.23

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 में लेख अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम-टेमनी से ग्राम-सायर मार्ग निर्माण हेतु 1.62 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग कर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति संदर्भित पत्र क्र. 02 द्वारा जारी की गई है।

तत्संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 03 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तें (भाग A अन्तर्गत 1 से 9 एवं भाग B अन्तर्गत 1 से 15) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित किया गया था।

उक्त संबंध में पालन प्रतिवेदन की शर्त A क्रमांक 02 के तहत ग्राम लोहारा प.ह.नं. 43 रा.नि.मा. लांजी के भूमि खसरा क्रमांक 17 रकबा 1.57 हे. एवं खसरा क्र. 08 रकबा 1.368 हे. में से 0.05 हे. कुल रकबा 1.62 हे. राजस्व भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराया जा कर मय खसरा की मूल प्रतियाँ आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया ग्राम-टेमनी से ग्राम-सायर मार्ग निर्माण हेतु 1.62 हेक्टेयर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पृ. क्र. 1917/तक/मप्रग्रासविप्रा/2023
प्रतिलिपी:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ।

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
बालाघाट, दिनांक 19/07/2023

महाप्रबंधक

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट



प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

[illegible]

:- 214

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइड कॉपी के लिए आई. टी. सैटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Joseph W.
General Manager
M.P.R.D.A. P.U.1
3 GALAGHAT



प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: लोहरा	पटवारी इल्का: भुरताडीमरी	तहसील: लौंछी	जिला: बालाघाट	वर्ष: 2023-2024							
भूमि के भाग को यूनिट अर्डी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण/संख्यांक/ब्लॉक/संख्यांक)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. ब्लॉक की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मोरबी कुपक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्लॉर 1. खरीफ 2. रबी 3. जापाट 4. अन्य	फसल के अर्धिन 1. फसल के अर्धिन 2. फसल के अर्धिन 3. फसल के अर्धिन 4. फसल के अर्धिन	1. भूमि के लिए ई संवर्णी पणस्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृद्धि 3. अन्य अभिलेखिता 4. वर्ष के दौरान कॉलोन संख्या (1) से (9) तक में परिवर्तनों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010484189	8 (S)	13488 हेक्टेयर	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन पता बालाघाट मध्य प्रदेश शासकीय	1							कलेक्टर द्वारा प्र. क्र. 0009/अ-59/2022-23 एवं आदेश दिनांक 05/08/2022 के अनुसार दिनांक 18/07/2023 को खसरा दिप्पणी में परिवर्तन दर्ज।
7DE4SMDPCTZ9410											सरकार द्वारा न्यायलय कलेक्टर महोदय के रा.प्र.क्र. 00009/अ-59/2022-23 के अनुसार संपूर्ण रकबा में से 0.050 हे. भूमि जन विभाग को हस्तांतरित की गई।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
3. डिजिटल साईड कॉपी के लिये आई. टी. सेक्टर से लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

Joseph M. M.
General Manager
M.P.R.D.A. P.U. 1
BALAGHAT (M.P.)